महत्वपूर्ण

संख्या-03/2017/802/29-4-2017-5(2)/2017

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

2. महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
टी0सी0/3बी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

3. निदेशक,
मण्डी परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

5. समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

6. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु
निगम, (एस0एफ0सी0), लखनऊ।

7. अधिशाषी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

8. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी संघ (पी0सी0एफ0)
32 स्टेशन रोड, लखनऊ।

9. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 कोऑपरेटिव यूनियन लि0,
(पी0सी0यू0), लखनऊ

10. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कृषि एवं औद्यो0 निगम
(यू0पी0 एग्रो),
विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

11. शाखा प्रबन्धक,
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ
मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0),
बी0-4 एच0 रोड, महानगर, लखनऊ।

12. शाखा प्रबन्धक,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
मर्यादित (नैफेड),
अलीगंज, लखनऊ।

13. निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-4 **लखनऊ:: दिनांक 31 अगस्त, 2017**

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धान खरीद किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार दिनांक 25 सितम्बर, 2017 से की जायेगी।

1- धान का समर्थन मूल्य- भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया गया है:-

धान की श्रेणी	मूल्य (रूपये प्रति कुन्तल)
1- कामन	1550.00
2- ग्रेड-ए	1590.00

2- धान क्रय की अवधि-

खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में लखनऊ सम्भाग के जनपद लखीमपुर तथा बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झाँसी एवं चित्रकूट मण्डलों में धान क्रय की अवधि दिनाँक 25 सितम्बर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक तथा लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर व हरदोई तथा कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं इलाहाबाद मण्डलों में दिनाँक 01 नवम्बर, 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक होगी।

3- क्रय केन्द्र का समय-

सामान्यत: क्रय केन्द्र प्रात: 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक खुले रखे जायेंगे, किन्तु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु अधिकृत होंगे। कृषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में धान क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी केन्द्रों पर धान की आवक व लक्ष्य पूर्ति के दृष्टिगत अवकाश के दिनों में भी धान क्रय करा सकेंगे।

4- क्रय एजेन्सी, क्रय केन्द्रों की संख्या व कार्यकारी लक्ष्य का विभाजन-

इस वर्ष प्रदेश के लिए 50 लाख मी0टन धान क्रय का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि निर्धारित अवधि में क्रय केन्द्रों पर धान की आवक बनी रहती है, तो किसानों के हितों के दृष्टिगत निर्धारित लक्ष्य से अधिक धान क्रय किया जायेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में अधोलिखित क्रय एजेन्सियों के 3000 क्रय केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। क्रय संस्थावार खोले जाने वाले धान क्रय केन्द्र एवं लक्ष्य निम्नवत हैं:-

क्र0	क्रय एजेन्सी का नाम	वर्ष 2017-18 हेतु क्रय केन्द्रों की संख्या	वर्ष 2017-18 हेतु कार्यकारी लक्ष्य (मी0टन)
1	खाद्य विभाग की विपणन शाखा, पंजीकृत सोसाइटी व मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी सहित	650	12.00
2	उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस0एफ0सी0)	100	3.00
3	उ0प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम	150	4.00
4	उ0प्र0 सहकारी संघ (पी0सी0एफ0)	1300	10.00

http://shasanadesh.up.nic.in

5	उ0प्र0 कोऑपरेटिव यूनियन लि0, (पी0सी0यू0)	250	4.00
6	उ0प्र0 राज्य कृषि एवं औद्यो0 निगम (यू0पी0 एग्रो)	150	3.00
7	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0)	50	1.00
8	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड)	50	1.00
9	भारतीय खाद्य निगम	100	2.00
	प्राइवेट प्लेयर्स (भारतीय खाद्य निगम)	200	10.00
	योग	3000	50.00

4.1 आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय संस्था, क्रय केन्द्रों की संख्या व क्रय केन्द्रों के लक्ष्य को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है तथा किसी संस्था को खरीद कार्य में लगाया या खरीद कार्य से हटाया जा सकता है।

4.2 खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय एजेन्सियों द्वारा कृषकों से धान क्रय किया जायेगा। निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 के यहाँ पंजीकृत सहकारी समितियों व केन्द्रीय निबन्धक, सहकारिता, कृषि भवन, नई दिल्ली के यहाँ पंजीकृत मल्टी सेक्टोरल/मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से भी खाद्य विभाग धान क्रय करेगा।

4.3 पंजीकृत सहकारी समितियाँ अच्छी साख व आर्थिक स्थिति की होनी चाहिए। पंजीकृत सहकारी समितियों की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। पंजीकृत सहकारी समितियों द्वारा नियुक्ति हेतु दिये जाने वाले आवेदन-पत्र, शपथ-पत्र व किये जाने वाले अनुबन्ध-पत्र के प्रारूप व बैंक गारण्टी आदि का निर्धारण आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा किया जायेगा।

4.4 मल्टी सेक्टोरल/मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज का चयन शासन की अनुमति से आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा किया जायेगा। मल्टी सेक्टोरल/मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा नियुक्ति हेतु दिये जाने वाले आवेदन-पत्र, शपथ-पत्र व किये जाने वाले अनुबन्ध-पत्र के प्रारूप व बैंक गारण्टी आदि का भी निर्धारण आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा किया जायेगा।

4.5 भारत सरकार की कास्टशीट के अनुसार सहकारी समितियों को अनुमन्य सोसाइटी कमीशन देय होगा। उन्हें यह कमीशन तभी देय होगा, जब भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को उनके द्वारा पूर्ण किया जायेगा। सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए उनके क्रय केन्द्रों/स्थायी भवन में कार्यरत समितियों को धान क्रय हेतु अनुमोदित करने में वरीयता दी जायेगी।

4.6 भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से भी धान खरीद की जायेगी। प्राइवेट प्लेयर्स के कार्य क्षेत्र का निर्धारण शासन की अनुमति उपरान्त आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के प्रस्ताव पर किया जायेगा। क्रय केन्द्रों का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्राइवेट प्लेयर क्रय नीति का विचलन न करने पाये।

4.7 धान क्रय का जनपदवार/संस्थावार कार्यकारी लक्ष्य का निर्धारण आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- गुण-विनिर्दिष्टियॉं- खरीफ क्रय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण-विनिर्दिष्टियों के अनुसार धान क्रय किया जायेगा।

6- जिला खरीद अधिकारी नामित किया जाना- जिलाधिकारी द्वारा एक जिला खरीद अधिकारी जो अपर जिलाधिकारी के समकक्ष स्तर के हों, नामित किया जायेगा। जिला खरीद अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के माध्यम से विभिन्न क्रय एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा तथा धान खरीद प्रभावी रूप से संचालित करायेगा एवं कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) सम्प्रदान हेतु उत्तरदायी होगा।

7- क्रय केन्द्रों की स्थापना-

7.1 क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि कृषक को अपना धान विक्रय करने हेतु 08 कि0मी0 से अधिक दूरी न तय करनी पड़े। क्रय सत्र में 100 मी0टन से कम खरीद की सम्भावना वाले क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर अधिकतम 01 केन्द्र ही खोला जाय। उन क्षेत्रों में क्रय केन्द्र मुख्य रूप से स्थापित किये जायें, जहां धान की अच्छी आवक होती है एवं खरीद की अच्छी सम्भावना हो। क्रय स्थल निर्धारण हेतु मण्डी, उप मण्डी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब, मुख्य मार्ग के समीप के सार्वजनिक स्थल आदि को प्राथमिकता दी जाय, ताकि कृषक वहाँ सुगमता से पहुँच सके।

7.2 क्रय केन्द्रों के निर्धारण को अन्तिम रूप देने के पूर्व जिलाधिकारी, जिला खरीद अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्रय एजेन्सियों के जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त मण्डी समिति के सचिव व प्रत्येक तहसील के न्यूनतम 02 प्रगतिशील कृषक के साथ बैठक भी करेंगे।

8- खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में धान क्रय केन्द्रों पर धान की बिक्री हेतु कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेगा। कृषक पंजीयन का प्रचार-प्रसार मण्डी परिषद के माध्यम से कराया जाये।

9- ई-उपार्जन (ई-प्रक्योरमेण्ट)-

9.1 खरीफ क्रय वर्ष 2017-18 में समस्त क्रय एजेन्सियों, पंजीकृत सहकारी समितियों, मल्टी सेक्टोरल/मल्टी सेक्टोरल सोसाइटी, भारतीय खाद्य निगम व भारतीय खाद्य निगम के प्राइवेट प्लेयर्स एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर ऑनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनायेंगे। इस निमित्त राजस्व विभाग के सहयोग से कृषक के डाटाबेस का उपयोग किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा अलग से निर्गत किये जायेंगे। एन0आई0सी0 के सहयोग से क्रय व्यवस्था से जुड़े समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिलवाया जायेगा।

9.2 समस्त क्रय संस्थायें अपने संसाधन से कम्प्यूटर/लैपटॉप/आईपैड, इन्टरनेट कनेक्शन व इस निमित्त अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें समय से स्वयं करेंगी।

9.3 सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन खरीद के साथ-साथ ऑफलाइन खरीद की भी व्यवस्था की जायेगी। यदि अपरिहार्य कारण से ऑनलाइन फीडिंग नहीं हो पाती है, तो धान क्रय को रोका नहीं जायेगा एवं ऑफलाइन खरीद करते हुए 03 दिन के अन्दर ऑनलाइन फीडिंग सुनिश्चित कर ली जायेगी।

9.4 जिन एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों पर ई-उपार्जन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, वे जिला प्रशासन के सहयोग से तहसील व ब्लॉक के माध्यम से ऑनलाइन फीडिंग करायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

9.5 ई-उपार्जन हेतु विकसित साफ्टवेयर का standardisation, Testing and Quality Certification (एस.टी.क्यू.सी.) ऑडिट भी कराया जायेगा।

10- धान क्रय की व्यवस्था-

10.1 कृषकों को धान क्रय की रसीद मण्डी परिषद द्वारा छूट प्रदान की गयी संस्थाओं को विभागीय प्रारूप पर तथा अन्य पंजीकृत समितियों/मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी व क्रय संस्थाओं को मण्डी समिति के प्रारूप 6आर/ई-उपार्जन के संगत प्रारूप पर निर्गत की जायेगी, जिस पर किसान का नाम, क्रय की गयी मात्रा व मूल्य अंकित किया जायेगा। किसान के हस्ताक्षर अवश्य कराये जायेंगे। खाद्य विभाग द्वारा उक्त सूचनायें खाद्यान्न बिल में अंकित की जायेंगी।

10.2 धान क्रय पंजिका में किसान का मोबाइल, फोन नम्बर तथा यथासम्भव आधार कार्ड भी अंकित किया जायेगा। किसान प्रदेश के अन्दर किसी भी खरीद केन्द्र पर धान विक्रय हेतु स्वतंत्र होंगे।

10.3 क्रय केन्द्र पर बैनर के माध्यम से धान का समर्थन मूल्य, शिकायत पंजीकरण का टोल फ्री नम्बर-18001800150, क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर, उपजिलाधिकारी का मोबाइल नम्बर, जिला खाद्य विपणन अधिकारी का मोबाइल नम्बर व क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी का मोबाइल नम्बर, गुणवत्ता के मानक, सम्बन्धित बैंक का नाम जहाँ से भुगतान होना है, आदि सूचनायें प्रदर्शित की जायेंगी। बैनर का मानक नमूना आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

10.4 प्रत्येक क्रय केन्द्र पर धान का एक मानक नमूना प्रदर्शित किया जायेगा।

10.5 जोतबही की व्यवस्था-

खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में क्रय केन्द्रों पर किसानों से धान खरीद जोतबही/खाता नम्बर अंकित कम्प्यूटराइज्ड खतौनी, फोटोयुक्त, पहचान प्रमाण-पत्र, यथासम्भव आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी। चकबन्दी अन्तर्गत ग्रामों में चकबन्दी सम्बन्धी संगत भूलेख, यथासम्भव आधार कार्ड/फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर धान क्रय किया जायेगा। उपज के ऑकलन हेतु यथासम्भव खसरा भी लिया जायेगा।

10.6 धान खरीद केन्द्र पर निम्नलिखित अभिलेख रखे जायेंगे:-

1- क्रय तक पट्टी
2- क्रय पंजिका
3- बोरा रजिस्टर
4- स्टाक रजिस्टर
5- बिल बुक
6- निर्गत चेकों का विवरण पत्र
7- ट्रक कान्ट्रेक्टर ड्राइवर्स चालान (टी0सी0डी0सी0)
8- बैंक लेखा पंजी
9- निरीक्षण पंजिका
10- शिकायत पंजिका
11- क्रय किये गये धान को सम्बद्ध चावल मिल को प्रेषित करने सम्बन्धी पंजिका
12- परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति संबंधी आदेश

http://shasanadesh.up.nic.in

13- हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति संबंधी आदेश

14- धान रिजेक्शन रजिस्टर

एकरूपता के दृष्टिगत सभी क्रय एजेन्सियाँ उपरोक्त अभिलेखों हेतु आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उक्त अभिलेख बनायेंगी।

11- मण्डी परिषद का दायित्व-

11.1 कृषकों के पंजीयन, धान क्रय नीति, धान क्रय मूल्य, धान की गुणनिर्दिष्टियाँ, टोलफ्री नंबर, आदि का प्रचार-प्रसार प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो, एफ0एम0 रेडियो आदि के माध्यम से कराया जायेगा।

11.2 प्रत्येक क्रय केन्द्र पर किसानों की सुख सुविधा के लिए मण्डी समिति द्वारा किसानों के लिए पानी की व्यवस्था, बाल्टी, लोटा, गिलास, मिट्टी के मटके, वाहन पार्किंग की व्यवस्था, किसानों के लिए शामियाना, तख्त तथा दरी, कुर्सी, पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त किस्म के छन्ने, पंखे, विनोइंग फैन, ड्रायर, प्रत्येक केन्द्र पर 02 इलेक्ट्रानिक कांटा, धान की नमी की जांच हेतु नमी मापक यंत्र, प्रकाश के लिए पेट्रोमैक्स, किसानों के धान की सुरक्षा हेतु त्रिपाल आदि व्यवस्था की जायेगी।

मण्डी यार्ड के क्रय केन्द्रों में पावर ड्रायर/छोटे पावर ड्रायर, जनरेटर/सोलर पैनल भी उपलब्ध कराया जायेगा। मण्डी समितियाँ सुनिश्चित करेंगी कि नमी मापक यंत्र अच्छी गुणवत्ता के उपलब्ध कराये जायें तथा विलम्बतम 15 सितम्बर, 2017 तक उपयोगी यन्त्रों की यदि आवश्यक हो मरम्मत करा ली जाय।

11.3 प्रत्येक एजेन्सी क्रय केन्द्रों पर मण्डी समिति द्वारा प्रदत्त नमी मापक यन्त्रों के अतिरिक्त स्वयं के अच्छी गुणवत्ता के नमीमापक यंत्र यथासम्भव उपलब्ध करायेंगी।

11.4 मण्डीयार्डो में स्थापित क्रय केन्द्रों पर उक्त व्यवस्था मण्डी परिषद द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। क्रय केन्द्रों पर यदि मण्डी समिति यह व्यवस्था नहीं करती है तो क्रय एजेन्सियाँ आवश्यकतानुसार मितव्ययिता के दृष्टिगत यह व्यवस्था स्वयं करेंगी तथा इस पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति पूरे जनपद में धान खरीद पर देय मण्डी शुल्क से कर ली जायेगी।

11.5 खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मण्डी परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नवत् व्यय सीमाएं निर्धारित की गयी हैं:-

क्र0	खरीद प्रति केन्द्र (मी0टन में)	अनुमन्य सीमाएं
1	0 से 250	रू0 7500 प्रति केन्द्र
2	251 से 600	रू0 15000 प्रति केन्द्र
3	601 मी0टन से अधिक खरीद वाले	रू0 22500 प्रति केन्द्र

क्रय एजेन्सियाँ सुख-सुविधा की व्यवस्था हेतु प्रत्येक क्रय केन्द्र को रू0 7500/- अग्रिम देगी, जिसका समायोजन देय मण्डी शुल्क से करेगी।

11.6 मण्डियों में धान की प्रतिस्पर्धापूर्ण नीलामी की जायेगी और दिन में 02 बार पूर्वान्ह 11:00 बजे और अपरान्ह 03:00 बजे बोली लगायी जायेगी। बोली के समय मण्डी सचिव, क्रय संस्थाओं के केन्द्र प्रभारी तथा व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। नीलामी प्रक्रिया को व्हाट्सएप (Whatsapp) पर भी मण्डी समिति द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा जायेगा। यदि नीलामी में फेयर एवरेज क्वालिटी (एफ0ए0क्यू0) धान की बोली समर्थन मूल्य से नीचे आती है, तो उसे क्रय एजेन्सी द्वारा खरीद लिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

11.7 समस्त एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों, पंजीकृत सोसाइटी, मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी व भारतीय खाद्य निगम के प्राइवेट प्लेयर्स के क्रय केन्द्रों पर धान की उतराई, छनाई एवं सफाई के खर्च के मद में कृषकों को रू0 15/- प्रति कुन्तल की दर से आर0टी0जी0एस0, एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से उनके बैंक एकाउन्ट में भुगतान क्रय एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। यह भुगतान धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। यह भुगतान किसान को आर0टी0जी0एस0/चेक के माध्यम से समर्थन मूल्य के साथ जोड़कर किया जायेगा।

11.8 इस मद में आये खर्च का भुगतान क्रय एजेन्सी द्वारा किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का समायोजन मण्डी समिति के बिलों से देय मण्डी टैक्स के विरूद्ध किया जायेगा।

12- हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यवस्था-

धान क्रय केन्द्र हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार की व्यवस्था सम्बन्धित क्रय एजेन्सी द्वारा ई-टेण्डर के आधार पर की जायेगी। हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कास्टशीट व निर्गत शासनादेश के अनुसार भुगतान किया जायेगा। इस निमित्त भारत सरकार की कास्टशीट की दरें अधिकतम होंगी।

13- क्रय केन्द्रों पर बांट एवं मापों का सत्यापन-

13.1 समस्त क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो पर सुनिश्चित किया जाये कि सही बांट तथा माप का प्रयोग हो, सही तौलाई की जाय तथा यह उपकरण बांट माप विभाग से सत्यापित हो। मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये इलेक्ट्रानिक कॉटों का 15 सितम्बर, 2017 तक मुद्रांकन अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जायेगा।

13.2 क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो पर सही तोल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद में जिला खरीद अधिकारी की अध्यक्षता में समिति होगी, जिसके सदस्य बॉट-माप विभाग के अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी व भारतीय खाद्य निगम डिपो के भण्डारण प्रबन्धक होंगे।

13.3 क्रय सत्र के दौरान खराब इलेक्ट्रानिक कॉटों को तत्काल ठीक करने के उद्देश्य से मण्डी समितियाँ प्रत्येक जनपद हेतु एक, यदि यह सम्भव नहीं हो पाता है तो सम्भाग में एक मैकेनिक नामित करेगी व उसका मोबाइल नम्बर सभी को परिचालित करेगी।

14- बोरों की व्यवस्था-

14.1 भारतीय खाद्य निगम को छोड़कर पूर्ण भुगतान के आधार पर अन्य क्रय एजेन्सियों को कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) हेतु जूट नया बोरा खाद्य विभाग द्वारा दिया जायेगा। भारत सरकार के पत्र संख्या-15-8/2004-पी.वाई.।।।(पी.टी.), दिनॉक 18-5-2017 के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में नया जूट बोरा केवल कस्टम मिल्ड चावल भरने हेतु दिया जायेगा, किन्तु क्रय धान की मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत धान ऐसे नये जूट बोरों में भरा जायेगा, जिसमें बाद में चावल भरके भारतीय खाद्य निगम भेजा जायेगा।

14.2 अवशेष क्रय धान को पुराने अथवा अन्य किसी प्रकार के बोरे में भरा जा सकेगा। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये, कि धान की मात्रा व गुणवत्ता में कोई नुकसान न हो। नुकसान के लिए क्रय एजेन्सी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। धान क्रय हेतु ऐसे पुराने या अन्य किसी प्रकार के बोरे की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित क्रय एजेन्सी, पंजीकृत सोसाइटी व मल्टीस्टेट सोसाइटी का होगा। इस निमित्त क्रय एजेन्सियों को भारत सरकार की कास्टशीट के अनुरूप यूजेज चार्जेज अनुमन्य होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

14.3 अपरिहार्य स्थिति में क्रय एजेन्सी, पंजीकृत सोसाइटी व मल्टीस्टेट सोसाइटी बाजार से निर्धारित गुणवत्ता (बी0आई0एस0 मानक) के बोरे क्रय कर कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) की डिलीवरी की जायेगी, किन्तु बोरा क्रय करने के पूर्व उसकी गुणवत्ता के संबंध में भारतीय खाद्य निगम की सहमति व राज्य सरकार की अनुमति अपेक्षित होगी। बोरों के मूल्य का भुगतान भारत सरकार द्वारा जारी कास्टशीट के अनुसार किया जायेगा।

14.4 बोरों की सिलाई, स्टैन्सिलिंग एवं कलर कोडिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा जारी किया जायेगा।

14.5 बोरों में धान की भर्ती शुद्ध वजन 40.00 कि0ग्रा0 व चावल की भर्ती शुद्ध वजन 50.00 कि0ग्रा0 के आधार पर की जायेगी।

15- भुगतान की व्यवस्था-

सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान ऑनलाइन आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा, किन्तु जहां आर0टी0जी0एस0 की सुविधा नहीं होगी, वहां एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। चेक के माध्यम से भुगतान की स्थिति में क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा बैंक से सत्यापन किया जायेगा कि कृषक का खाता जिस बैंक में है, उसमें सी0बी0एस0 की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

16- धान की कुटाई हेतु व्यवस्था-

16.1 धान की कुटाई हेतु 02 मी0टन या उससे अधिक क्षमता की मण्डी समिति से लाइसेन्स प्राप्त व व्यापार कर विभाग में पंजीकृत चावल मिलों का खाद्य विभाग में पंजीकरण/इम्पैनलमेन्ट निर्धारित व्यवस्था के अनुसार विभागीय पोर्टल पर किया जायेगा।

16.2 ब्लैक लिस्टेड, 02 मी0टन से कम क्षमता वाली, बकाया कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) वाली तथा शासन को क्षति पहुँचाने वाली मिलों से कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं कराया जायेगा। जनपद की शेष समस्त कार्यशील व पंजीकृत चावल मिलों से अनिवार्य रूप से कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जायेगा। जिन जनपदों/मण्डलों में खरीदे गये धान की कुटाई हेतु समुचित क्षमता की चावल मिलें नहीं हैं, ऐसे जनपदों/सम्भागों के मिलों की क्षमता से अतिरिक्त धान की कुटाई ऐसे जनपदों/मण्डलों की मिलों से कराई जायेगी, जहाँ कुटाई हेतु पर्याप्त मिलिंग क्षमता उपलब्ध हो।

16.3 सम्बद्धीकरण में ऐसे मिलों को वरीयता दी जायेगी, जिन्होंने मिल का आधुनिकीकरण करा लिया है और सार्टेक्स लगा लिया है।

16.4 जिला खाद्य विपणन अधिकारियों के प्रस्ताव पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा चावल मिलों के सम्बद्धीकरण की कार्यवाही की जायेगी। क्रय एजेन्सियाँ मिलों की साख, पूर्व कार्यवृत्त व सत्यापन के उपरान्त सम्बद्धीकरण हेतु प्रस्ताव जिला खाद्य विपणन अधिकारी को देंगी, जिसके अनुक्रम में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्बद्धीकरण किया जायेगा। क्रय एजेन्सियों के मण्डलीय अधिकारियों से चर्चा कर सम्बद्धीकरण को अन्तिम रूप दिया जायेगा। यदि क्रय एजेन्सियाँ लिखित रूप में सम्बद्धीकरण आदेश पर आपत्ति व्यक्त करती हैं तो सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किया जायेगा। भविष्य में कस्टम मिल्ड राइस हेतु सम्बद्ध मिल के विरूद्ध क्रय एजेन्सी की किसी भी देयता के लिये खाद्य विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

16.5 प्रतयेक चावल मिल (शत-प्रतिशत निर्यातक मिल को छोड़कर), जिसकी क्षमता 02 मी0टन से अधिक है और मण्डी समिति से लाइसेन्स प्राप्त है तथा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है, उसे

http://shasanadesh.up.nic.in

सी0एम0आर0 का कार्य करना अनिवार्य होगा। यदि किसी मिल द्वारा कुटाई हेतु धान लेने से मना किया जाता है तो उसके विरूद्ध मण्डी समिति के लाइसेन्स निरस्तीकरण एवं व्यापार कर पंजीयन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

16.6 प्रत्येक चावल मिल से धान देने के पूर्व निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध कराया जायेगा और चावल मिल की क्षमतावार बैंक गारण्टी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र0	चावल मिल की क्षमता (टन)	बैंक गारण्टी
1	02-05	रू0 5.00 लाख
2	05-10	रू0 10.00 लाख
3	10 से अधिक	रू0 15.00 लाख

बैंक गारण्टी के स्थान पर चावल की भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदानित अग्रिम लाट भी मान्य होगी। चावल मिल को क्रय केन्द्र/अस्थायी भण्डारण गोदाम से बैंक गारण्टी/अग्रिम लाट के सापेक्ष धान दिया जायेगा और चावल दे देने के बाद आगे धान डिलीवर किया जायेगा। चावल मिल से अनुबन्ध करते समय पूर्व में जारी अनुबन्ध में उक्त व्यवस्था रखी जायेगी।

16.7 खाद्य विभाग के उन कर्मियों को धान क्रय कार्य से विरत रखा जायेगा जिनके विरूद्ध गत वर्षों में किसी भी खरीद सत्र में कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) प्रतिदान को लेकर कार्यवाही प्रचलित है।

16.8 यथासम्भव एक क्रय केन्द्र प्रभारी के पास एक से अधिक केन्द्र का प्रभार न हो। क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों को पर्यवेक्षण के कार्य में लगाया जाय।

16.9 क्रय केन्द्र पर खरीदे गये धान के सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था न होने पर सम्बद्ध चावल मिल के गोदामों को अस्थायी भण्डारण गोदाम के रूप में प्रयोग किया जायेगा और क्रय केन्द्र का धान चावल मिलर एवं केन्द्र प्रभारी के "लॉक एण्ड की" में संयुक्त अभिरक्षा में रखा जायेगा और इसके लिए अभिरक्षा प्रमाण-पत्र पर सम्बन्धित मिलर व केन्द्र प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।

16.10 खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेन्सियों द्वारा अपने तहसील, जनपद एवं सम्भागीय स्तर के अधिकारियों द्वारा भी मिल में संस्था के कुटाई हेतु अवशेष धान तथा भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान हेतु अवशेष सी0एम0आर0 के स्टॉक का पाक्षिक एवं मासिक भौतिक सत्यापन कराया जायेगा एवं इसका लेखा-जोखा रखा जायेगा। सत्यापन में अनियमितता की स्थिति में यथा नियमानुसार दोषी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।

16.11 क्रय धान को कस्टम हलिंग हेतु चावल मिलर को परिदत्त करने की पावती लेने में विशेष सतर्कता बरती जाये एवं पावती को सुरक्षित भी रखा जाये। तहसील, जनपद, मण्डल स्तर के पर्यवेक्षकीय अधिकारी निरीक्षण/सत्यापन के समय इस बिन्दु का अनुपालन होना सुनिश्चित करेंगे।

17- कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) का सम्प्रदान-

17.1 कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर किया जायेगा। कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) की डिलीवरी का दायित्व सम्बन्धित चावल मिलर का होगा।

17.2 मिलर द्वारा 67 प्रतिशत रिकवरी के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप चावल की डिलीवरी की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

17.3 यदि चावल मिलर हलिंग हेतु दिये गये धान के विरूद्ध 30 दिन के अन्दर केन्द्रीय पूल में चावल का सम्प्रदान कर देता है तो उसे रू0 10/- प्रति कुं0 प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। प्रोत्साहन धनराशि की प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं चावल मिलर को देय होगी, जिनका सम्बद्धीकरण संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा किया जायेगा।

17.4 मिलर को धान के स्टाक की आपूर्ति के विलम्बतम 45 दिनों के भीतर निर्दिष्ट डिपो में चावल का सम्प्रदान करना होगा। यदि मिलर निर्दिष्ट समय में चावल सम्प्रदान करने में विफल होता है तो इस विलम्ब के लिए रू0 1.00 प्रति कुं0 प्रतिदिन की दर से होल्डिंग प्रभार देय होगा। होल्डिंग प्रभार की गणना विलम्बतम 30 जून, 2018 अथवा चावल सम्प्रदान हेतु अनुमन्य अन्तिम तिथि तक की जायेगी। भारतीय खाद्य निगम में डिलीवरी/भण्डारण की समस्या के कारण कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) का सम्प्रदान सुनिश्चित नहीं हो पाता है, तो होल्डिंग चार्जेज देने हेतु मिलर उत्तरदायी नहीं होगा। संभागीय खाद्य नियंत्रक गुण-अवगुण के आधार पर होल्डिंग चार्जेज को कम करने के बारे में सभी क्रय एजेन्सियों के प्रकरणों में क्रय एजेन्सियों से प्राप्त प्रस्ताव का गुण-अवगुण के आधार पर परीक्षण कर कारण अंकित करते हुये निर्णय ले सकेंगे।

17.5 धान खरीद की अवधि समाप्त होने के अधिकतम एक माह के अन्दर चावल मिलों पर सम्पूर्ण कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) की प्राप्ति सम्बन्धित क्रय केन्द्र प्रभारी तथा धान कुटाई हेतु सम्बद्ध चावल मिल के अधिकारिता क्षेत्र के कर्मचारी के अतिरिक्त खाद्य विभाग के संदर्भ में संभागीय खाद्य नियंत्रक, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी व जिला खाद्य विपणन अधिकारी व क्षेत्रीय विपणन अधिकारी तथा क्रय एजेन्सियों के संदर्भ में सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के जनपदीय व मण्डलीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

17.6 क्रय एजेन्सियों द्वारा कस्टम मिल्ड राइस की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्र प्रबन्धक द्वारा जारी संचरण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित भारतीय खाद्य निगम डिपो पर की जायेगी। भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि धान खरीद के सापेक्ष कस्टम चावल भण्डारण हेतु उसके पास पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध हो, भण्डारण स्थान की कमी की स्थिति में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय से उपयुक्त गोदाम किराये पर लेने/खाद्यान्न का आउटवर्ड संचरण कराने की कार्यवाही वरीयता के आधार पर की जायेगी। जनपद में धान क्रय के सापेक्ष केन्द्रीय पूल में चावल का उतार तीव्रता से हो, इस हेतु प्रतिदिन उतार क्षमता की सूचना भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार/प्रतिनिधि को देगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी उसी क्षमता के अनुरूप ट्रकों के संचरण कराने का प्रयास करें, ताकि अनावश्यक जाम डिपो व रोड पर न लगे। उक्तवत क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा जनपदवार व भण्डारण डिपोवार चावल भण्डारण प्रोग्राम एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा जनपदवार व डिपोवार चावल के ट्रकों का दैनिक संचरण प्रोग्राम समय से निर्गत किया जायेगा।

17.7 यदि कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) अधोमानक होने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा अस्वीकार किया जाता है, तो उसके बदले दूसरी लाट चावल मानक के अनुरूप तैयार कर राइस मिलर को तत्काल डिलीवरी करानी होगी।

17.8 भारतीय खाद्य निगम के गोदाम पर चावल के गुणवत्ता की जाँच के लिए संयुक्त विश्लेषण सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा एवं बिना क्रय एजेन्सी के संयुक्त विश्लेषण के चावल की लाट अस्वीकृत नहीं की जायेगी। चावल की लाट अस्वीकृत करने की स्थिति में भारत

http://shasanadesh.up.nic.in

सरकार के मानक, जिसके आधार पर चावल की लाट अस्वीकृत की गयी है, का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

17.9 चावल मिल से भण्डारण डिपो तक परिवहन व्यय का भुगतान तथा मिलिंग चार्जेज का भुगतान भारत सरकार द्वारा जारी कास्टशीट के अनुसार किया जायेगा।

17.10 मिलर द्वारा भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर चावल लाये जाने पर सैम्पल लेने, सैम्पल पर्ची बनाने, सैम्पल का विश्लेषण करने तथा चावल प्राप्ति करने का पूरा कार्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा तथा इसी साफ्टवेयर से चावल की अभिस्वीकृति जारी की जायेगी। अभिस्वीकृति की एक प्रति प्रिन्ट करके मिलर को दी जायेगी।

18- भारतीय खाद्य निगम से भुगतान प्राप्त करना-

18.1 भारतीय खाद्य निगम पर चावल की डिलीवरी के पश्चात प्राप्त एक्नॉलेजमेण्ट के आधार पर बिल बनाकर भारतीय खाद्य निगम से भुगतान प्राप्त किया जायेगा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर एक्नॉलेजमेण्ट जारी किया जायेगा।

18.2 भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर सिंगल विन्डो सिस्टम प्रणाली की व्यवस्था में भारतीय खाद्य निगम में सम्प्रेषित कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) की प्राप्ति रसीद, वेट चेक मेमो व गुणवत्ता विश्लेषण सम्बन्धी प्रपत्र भारतीय खाद्य निगम के एक ही काउन्टर से कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) प्राप्ति से 24 घण्टे के अन्दर भौतिक रूप से व पोर्टल पर भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

18.3 भारतीय खाद्य निगम द्वारा पावती पत्र (एक्नॉलेटमेण्ट) व अन्य संगत अभिलेखों के आधार पर क्रय एजेन्सियों का बिल प्राप्त होने पर विलम्बतम 03 कार्यदिवस के अन्दर भुगतान किया जायेगा। एक्नॉलेजमेण्ट निर्गमन, बिलों का प्रस्तुत किया जाना व क्रय एजेन्सियों को भुगतान ई (इलेक्ट्रानिक) प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

19- अन्तिम तिथि के बाद अवशेष कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) की वसूली की व्यवस्था-

19.1 28 फरवरी, 2018 तक क्रय किये गये धान के सापेक्ष कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) की डिलीवरी की अवधि 30 अप्रैल, 2018 तक होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति के उपरान्त 30 जून, 2018 तक बढ़ाया जा सकेगा।

19.2 30 जून, 2018 के बाद अवशेष कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) के मूल्य की वसूली चावल मिलर से की जायेगी और इसके लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनुमन्य टैक्स, बोरे की धनराशि, परिवहन/हैण्डलिंग व्यय, देय होल्डिंग चार्जेज तथा भारतीय रिजर्व बैंक की प्रचलित ब्याज दर के आधार पर गणना करते हुये धनराशि जमा करने की व्यवस्था की जायेगी।

19.3 यदि मिलर द्वारा धनराशि जमा करने में डिफाल्ट किया जायेगा, तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली प्रमाण-पत्र जारी कराकर किया जायेगा। खाद्य विभाग के प्रकरण में वसूली प्रमाण-पत्र सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बैंक गारण्टी जब्ती, काली सूची में डालने के साथ ही विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

19.4 क्रय नीति के विचलन अथवा दायित्वों के समुचित निर्वहन में शिथिलता के कारण यदि शासकीय क्षति कारित होती है, तो उस हेतु क्रय संस्था के केन्द्र प्रभारी (क्रय कर्ता) मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे, साथ ही तहसील, जनपद, मण्डल के अधिकारी भी गुण-अवगुण के आधार पर जिम्मेदार होंगे।

19.5 शासकीय क्षति कारित होने की स्थिति में दोषी मिलर के विरूद्ध समय से समुचित कार्यवाही

http://shasanadesh.up.nic.in

कराने का दायित्व सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी व अधिकारिता क्षेत्र के जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जनपद स्तरीय अधिकारी का तथा पर्यवेक्षीय दायित्व सम्भागीय अधिकारियों का होगा।

20- वित्तीय व्यवस्था-

20.1 खाद्य विभाग की विपणन शाखा के अतिरिक्त राज्य सरकार की अन्य क्रय संस्थाओं को उनकी माँग पर धान क्रय के लिए कार्यशील पूंजी हेतु अग्रिम धनराशि की व्यवस्था वित्त विभाग की सहमति से खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा की जायेगी।

20.2 स्थापित क्रय केन्द्रों पर धान खरीद वर्ष 2017-18 में धान क्रय की व्यवस्था हेतु योजना का प्रचार-प्रसार, क्रय कार्य हेतु कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण, टेलीफोन/मोबाइल, ई-उपार्जन हेतु लैपटॉप, टैबलेट क्रय, इलेक्ट्रानिक कॉटा, नमीमापक यंत्र, छलना, विनोइंग फैन, पावर ड्रायर्स आदि, नेट कनेक्टिविटी, स्टेशनरी, निरीक्षण हेतु किराये पर वाहन, पी0ओ0एल0 (Petroleum Oil & Lubricant), अस्थायी मानव संससाधन, हैण्डलिंग व परिवहन व्यय, बोरा क्रय, वर्षा से बचाव हेतु त्रिपाल व क्रेट्स आदि आवश्यक व्यवस्था, बोरों की सिलाई हेतु मशीन व सोलर पैनल तथा खाद्यान्न के विश्लेषण हेतु विश्लेषण किट आदि, ई-उपार्जन साफ्टवेयर हेतु एन0आई0सी0 को मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु, धान क्रय की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु कॉल सेन्टर, खाद्यायुक्त कार्यालय/एन0आई0सी0 हेतु पी0एम0यू0 (Project Monitoring Unit) आदि मदों पर व्यय अनुमन्य होगा। खाद्यान्न (धान व गेहूँ) की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीद में ई-उपार्जन, कृषक पंजीकरण, मिलों का पंजीकरण का कार्य अब चूँकि वर्ष पर्यन्त किया जाना है, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का उठान व सम्प्रदान, उसके बिलिंग एवं भुगतान का कार्य पूरे वित्तीय वर्ष में होता रहेगा। अतएव उक्त मदों में व्यय पूरे वित्तीय वर्ष हेतु अनुमन्य होगा।

धान के मूल्य का भुगतान करने के लिए अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था धान क्रय हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग एवं आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा कार्यवाही की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ होने वाले व्यय का वहन लेखाशीर्षक "4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूँजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101 अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43-सामग्री और सम्पूर्ति" से पूर्व की भाँति किया जायेगा।

20.3 पंजीकृत समितियाँ व पंजीकृत मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को क्रय धान के विरूद्ध देय चावल का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल में हो जाने के उपरान्त संगत प्रपत्र के आधार पर भुगतान इस शर्त के साथ किया जायेगा कि यदि भविष्य में कोई देयता निकलती है तो संबंधित से भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली की जा सकेगी।

20.4 धान खरीद की समाप्ति के उपरान्त अधिकतम 03 माह में प्रत्येक धान क्रय केन्द्र का ऑडिट पूर्ण किया जायेगा।

21- क्रय योजना का प्रचार एवं प्रसार-

21.1 सरकार की मंशा किसानों को उनकी उपज का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप अथवा उससे अधिक दिलाने की है। इस हेतु वृहद् पैमाने पर पोस्टरों, स्टिकरों, फ्लेक्सी बैनर, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी व एफ0एम0 रेडियो का प्रयोग किया जायेगा। प्रचार-प्रसार मण्डी परिषद द्वारा कराया जायेगा। टोल-फ्री नं0-18001800150 का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

21.2 एस0एम0एस0 के माध्यम से धान का समर्थन मूल्य निकटवर्ती धान क्रय केन्द्र, कृषक पंजीयन की सूचना मण्डी समिति द्वारा कृषक के उपलब्ध डाटाबेस से प्राप्त कर प्रेषित कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

22- क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो का निरीक्षण:-

22.1 धान खरीद की दृष्टि से चिन्हित संवेदनशील जनपदों में डिस्ट्रेस सेल को रोकने हेतु विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे, जो आवंटित जनपदों में यथावश्यक भ्रमण/निरीक्षण कर धान क्रय व चावल भण्डारण में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण सुनिश्चित करायेंगे।

22.2 जनपद में कृषकों को धान की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है एवं निर्धारित मानक के अनुरूप धान की डिस्ट्रेस सेल नहीं हो रही है, इसे सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी धान खरीद, उप जिलाधिकारी व खाद्य विभाग के ब्लाक/तहसील/जनपद व मण्डल स्तर के अधिकारी तथा सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव जिम्मेदार होंगे।

22.3 क्रय केन्द्रों को भौतिक रूप से क्रियाशील कराने, सुचारू रूप से धान क्रय सम्प्रदान व बिलिंग आदि कराने हेतु क्रय संस्था के अधिकारियों यथा-सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा 03 केन्द्र प्रतिदिन, सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी/संयुक्त निबन्धक (सहकारी समितियाँ)/क्रय एजेन्सियों के मण्डलीय अधिकारी द्वारा 04 केन्द्र प्रतिदिन, जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला निबन्धक (सहकारी समितियाँ)/क्रय संस्था के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा 05 व क्षेत्रीय विपणन अधिकारी द्वारा 06 क्रय केन्द्र प्रतिदिन न्यूनतम निरीक्षण किये जायेंगे।

23- धान क्रय का अनुश्रवण-

23.1 जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पर्यवेक्षण में एक खरीद प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें धान क्रय कार्य की समीक्षा की जायेगी। साथ ही साथ क्रय के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी।

23.2 खरीद नियंत्रण प्रकोष्ठ कार्य दिवसों में कार्यालय समय में सक्रिय रहेगा। इसके अतिरिक्त रविवार व राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में भी प्रात: 10.00 बजे से अपरानह 01.00 बजे तक क्रियाशील रहेगा।

23.3 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा क्रय संस्थाओं के मण्डलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा धान खरीद की नियमित समीक्षा एवं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा कि डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न होने पाये तथा क्रय केन्द्रों पर धान क्रय की समुचित व्यवस्था के अनुश्रवण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसानों को धान विक्रय के उपरान्त धान के मूल्य का पूरा भुगतान प्राप्त हो रहा है।

23.4 क्रय केन्द्र पर बिचौलियों या व्यापारियों से धान की खरीद करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण हेतु निर्गत चावल का दुरूपयोग कर धान/चावल की खरीद करने तथा केन्द्र पर खाली बोरों के दुरूपयोग आदि का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषी क्रय केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

23.5 तहसील स्तर पर धान खरीद सुचारू रूप से सम्पन्न कराने व प्रभावी अनुश्रवण हेतु उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जायेगा, जो सप्ताह में न्यूनतम एक बार बैठक कर धान क्रय आदि की समीक्षा व अनुश्रवण करेंगे। कमेटी के सदस्य निम्नवत् होंगे:-

क्र0	**अधिकारी का नाम**	**समिति के सदस्य**
1	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक	संयोजक
3	प्रत्येक क्रय एजेन्सी के तहसील/ब्लॉक मुख्यालय का 01 प्रभारी	सदस्य
4	ए.डी.सी.ओ. सहकारिता	सदस्य
5	मण्डी सचिव	सदस्य
6	कृषि विभाग के अधिकारी	सदस्य
7	बॉट-माप विभाग का अधिकारी	सदस्य
8	उपजिलाधिकारी द्वारा नामित 02 प्रगतिशील कृषक	सदस्य

23.6 जिलाधिकारी जनपद में अल्प सूचना पर शत-प्रतिशत केन्द्रों के भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को लगाते हुए कार्य योजना तैयार करेंगे व धान खरीद सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करायेंगे।

23.7 इसी प्रकार केन्द्रीय पूल में चावल का सम्प्रदान सुगमतापूर्वक सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट के माध्यम से समय-समय पर भारतीय खाद्य निगम के डिपो का पक्ष में न्यूनतम एक बार स्थलीय भ्रमण कराकर चावल उतार की समीक्षा करेंगे।

23.8 क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो पर कार्यरत श्रमिक सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, सुनिश्चित करने का दायित्व क्रय एजेन्सी, भण्डारण एजेन्सी व भारतीय खाद्य निगम का होगा। अनियमितता की स्थिति में अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जाये। समस्या का समय से निराकरण न होने की स्थिति में जिलाधिकारी श्रम विभाग के अधिकारियों से जाँच कराकर नियम संगत कार्यवाही करेंगे।

23.9 प्रदेश स्तर पर धान खरीद का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण खाद्य तथा रसद विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा:-

क्र0	अधिकारी का नाम	दूरभाष संख्या
1	श्री शीतला प्रसाद द्वितीय, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।	कार्यालय-05222237873 मो0-9415286274
2	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।	कार्यालय-05222286050 मो0-9415516023

24- खाद्य नियंत्रण कक्ष-

24.1 धान खरीद प्रगति के नियमित अनुश्रवण हेतु खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ में स्थापित है, जो प्रात: 09:00 बजे से सायंकाल 06:00 बजे तक खुला रहेगा। धान खरीद से सम्बन्धित संस्थावार तथा जनपदवार सूचनायें प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष को जिला खरीद अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सम्भागीय खाद्य विपणन

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से ईमेल/फैक्स आदि के माध्यम से प्रेषित की जायेगी तथा विभागीय वेबसाइट पर सूचना प्रत्येक जनपद में प्रतिदिन लोड की जायेगी।

24.2 प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा धान खरीद प्रगति की संस्थावार सूचना शासन को प्रतिदिन उपलब्ध करायी जायेगी। सभी संस्थायें व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक खाद्यायुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप पर खरीद, भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी, एक्नॉलेजमेण्ट, बिलिंग, भुगतान व अवशेष भुगतान की दैनिक सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यत: प्रतिदिन 12:00 बजे तक फैक्स/ईमेल (up.fncs@gmail.com)/विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

24.3 खाद्य आयुक्त, नियंत्रण कक्ष का दूरभाष व फैक्स नं0-0522-2286906 है तथा विभागीय वेबसाइट www.fcs.up.nic.in है। धान क्रय से सम्बन्धित शिकायतें/सुझाव टोल फ्री नं0-18001800150 पर भी दर्ज करायी जायेंगी।

25- धान खरीद के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक-

25.1 धान खरीद के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार समीक्षा बैठक की जायेगी, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि सहित समस्त क्रय संस्थाओं के सक्षम अधिकारी तथा कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सहकारिता, बाँट-माप व व्यापार कर आदि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा:-

मण्डलायुक्त	पाक्षिक
जिलाधिकारी	साप्ताहिक
जिला खरीद अधिकारी	दैनिक

26- पुरस्कार/मानदेय एवं दण्ड की व्यवस्था-

आवश्यक निर्देश आयुक्त, खाद्य तथा रसद द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

27- कठिनाइयों का निराकरण-

27.1 धान क्रय नीति अथवा तत्सम्बन्धित शासनादेशों के क्रियान्वयन को सुगमता से लागू करने में यदि किसी समय कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा इस प्रयोजन के लिये स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आयुक्त, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाना है, जो नीति विषयक हो या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित हो, तो आयुक्त, खाद्य तथा रसद द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

27.2 खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 के दौरान यदि धान क्रय नीति के किसी प्रावधान में तात्कालिक रूप से किसी संशोधन की आवश्यकता होती है, तो नीति विषयक संशोधन/विचलन हेतु मा0 मंत्री जी अधिकृत होंगे।

धान खरीद में विभिन्न स्तरों पर उक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-03/2017/802(1)/29-4-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/सहकारिता विभाग/कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, खाद्यायुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- अपर आयुक्त (विपणन), खाद्यायुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- समस्त सम्भागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

10- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 एवं 5, उ0प्र0 शासन।

11- सचिव, यू0पी0 राइस मिलर्स एसोसिएशन, 128, क्लाइड हाउस मालरोड, कानपुर।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)
संयुक्त सचिव।

संख्या-03/2017/802(2)/29-4-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0।

2- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, खाद्य एवं रसद विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, सहकारिता विभाग, उ0प्र0।

7- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कृषि विभाग, उ0प्र0।

8- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in